# मौलिक कर्त्तव्यों का क्या अर्थ है

लेखक - अंबतिका घोष (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

**इंडियन एक्सप्रेस**

2 दिसम्बर, 2019

**"पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री मौलिक कर्त्तव्यों पर जोर दे रहे हैं। इन कर्त्तव्यों में क्या है और संविधान में इन्हें कैसे शामिल किया गया है, इस आलेख में हम इसी पर नजर डालेंगे।"**

पिछले एक सप्ताह से सरकार को मौलिक कर्त्तव्यों के मुद्दे पर जोर देते हुए देखा जा सकता है। पिछले सप्ताह संसद के संयुक्त सत्र में अपने संविधान दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा (कोविंद) और इन कर्त्तव्यों के बीच अंतर करते हुए संवैधानिक कर्त्तव्यों के महत्व पर जोर दिया था। उसी अवसर पर, राष्ट्रपति राम नाथ ने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच अंतर पर बल दिया जबकि उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मौलिक कर्त्तव्यों को स्कूली पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने वाले कर्त्तव्यों की सूची में शामिल करने का आह्वान किया था। संविधान दिवस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकों से अपने मौलिक कर्त्तव्यों को याद करने का आह्वान किया था।

मौलिक कर्त्तव्यों का वर्णन संविधान में किया गया है जो एक आपातकालीन युग का प्रावधान है जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। संविधान दिवस से पहले, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि कैसे सरकार इस प्रावधान पर जमी धूल हो हटा रही है और मंत्रालयों को मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कह रही है।

**संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को कैसे शामिल किया गया?**

इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल किया गया था। आज अनुच्छेद 51-ए के तहत् वर्णित 11 मौलिक कर्त्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था और 11वें को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये वैधानिक कर्त्तव्य हैं, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन एक अदालत किसी मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है। इन्हें शामिल करने के पीछे का विचार नागरिक अधिकारों के बदले में नागरिक के दायित्व पर जोर देना था। मौलिक कर्त्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है।

**मौलिक कर्तव्य क्या हैं?**

**11 मौलिक कर्तव्य हैं:-**

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यह भारत के सभी नागरिकों के प्रमुख राष्ट्रीय दायित्वों में से एक है।
- देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें, जब ऐसा करने का आह्वान किया जाए।

भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की

भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा को ठेश पहुँचाने वाले अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।

- हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना – हमारी सांस्कृतिक धरोहर सबसे समृद्ध और संपन्नहै, यह पृथ्वी की विरासत का भी हिस्सा है।
- वनों, झीलों, नदियों और प्राकृतिक जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखना।
- वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जाँच और सुधार की भावना का विकास करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर तक प्रयास और उपलब्धि हासिल करे।
- माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वाँ संशोधन)।

यह बच्चों की शिक्षा से संबंधित है जिसे 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो कि अनुच्छेद 21ए के सम्मिलन के साथ 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 51 ए के तहत् ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए माता-पिता पर एक दायित्व भी डालता है।

**42वें संशोधन को किन परिस्थितियों में पारित किया गया था?**

संशोधन ऐसे समय में हुआ जब चुनाव स्थगित हुए और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा। सरकार ने हजारों को MISA (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का रखरखाव; Maintenance of Internal Security Act) के तहत् गिरफ्तार किया और गरीबी-विरोधी कार्यक्रम, झुग्गी विध्वंस अभियान और जबरन नसबंदी अभियान चलाया। इंडिया आफ्टर गाँधी (India after Gandhi) में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 'श्रीमती गांधी के शासन को लंबा करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला पारित की गई।'

मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ने के अलावा, 42 वें संशोधन ने संविधान के प्रस्तावना को भी बदल दिया जिसमें भारत का वर्णन करने के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल हैं, इसके अलावा वह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भी है।

नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों पर वरीयता दी गई। कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र संक्षिप्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने से प्रतिबंधित किया गया था।

एक नया अनुच्छेद 144A शामिल किया गया था, जिसमें एक संवैधानिक पीठ के लिए न्यूनतम सात न्यायाधीशों को शामिल किया गया था, इसके अलावा केंद्रीय कानूनों को अमान्य करने के लिए दो-तिहाई पीठ का विशेष बहुमत निर्धारित किया गया था।

**42वें संशोधन के तहत् कितने परिवर्तन अभी भी प्रभावी हैं?**

1977 के चुनावों में जनता पार्टी के घोषणापत्र ने संविधान को उसके पूर्व-आपातकाल के रूप में बहाल करने का वादा किया। हालाँकि सत्ता में आने के बाद मोरारजी देसाई सरकार के पास पूर्ण उलटफेर के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। उलटफेर केवल नाम मात्र ही हो सका।

1977 में 43वें संशोधन ने कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल कर दिया। अगले वर्ष 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 के तहत् आपातकाल घोषित करने के आधार को बदल दिया, 'सशस्त्र विद्रोह' के साथ 'आंतरिक अशांति' को प्रतिस्थापित किया गया और राष्ट्रपति की आवश्यकता के अलावा जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में उन्हें लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता तब तक वह ऐसा नहीं करेंगे।

स्वतंत्रता का अधिकार को यह कहते हुए मजबूत किया गया कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत् नजरबंदी दो महीने से अधिक के लिए नहीं होगी। अनुच्छेद 19 को संशोधित करके और अनुच्छेद 31 को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. **मौलिक कर्त्तव्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

   1. मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है।
   2. वर्तमान में मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 12 है।
   3. 11वाँ मौलिक कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2

   (b) 2 और 3

   (c) 1 और 3

   (d) 1, 2 और 3

## Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of the fundamental duties.**

   1. Fundamental duties have been added in the constituition by the 42nd Constitution Amendment Act 1976.
   2. The present number of fundamental duties are 12.
   3. 11th Fundamental Duty has been added by the 86th Constitution Amendment.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2

   (b) Only 1

   (c) 2 and 3

   (d) 1, 2 and 3

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्न: क्या वर्तमान में मौलिक कर्त्तव्यों की सूची में विस्तार करने तथा उनका कानूनी पालन को अवश्यम्भावी बनाने की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। ( 250 शब्द )**

**Whether there is a need to expand the list of fundamental duties at present and make their legal observance mandatory. Comment. (250words)**

**नोट : 30 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा ( संभावित प्रश्न ) का उत्तर 1 (c) होगा।**

Com